भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4015

उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या

†4015. **डॉ. कडियम काव्य:**

मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की असम के धुबरी जिले सहित राज्य/लिंग/सामाजिक श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास अनुसूचित जनजातियों और दिव्यांग बच्चों द्वारा स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने के सम्बंध में आंकड़े हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर असम के जिलों में छात्रों द्वारा स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन या जांच की गई है;

(घ) छात्रवृत्ति और परामर्श सहित सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या धुबरी में कोई जनजातीय या अल्पसंख्यक-विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे स्कूलों की राज्यवार और श्रेणीवार संख्या कितनी है जहां शौचालयों, पेयजल, बिजली और डिजिटल शिक्षण अवसंरचना (केंद्रीय, राज्य, सहायता प्राप्त) संबंधी कार्यशील सुविधाएं नहीं हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूली शिक्षा के संकेतकों संबंधी डेटा को रिकॉर्ड करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) तैयार की है। यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जेंडर-वार और सामाजिक श्रेणी-वार पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (एनसीईआरटी) द्वारा दिसंबर 2024 में आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों में मौलिक दक्षता विकास का आकलन किया। इसमें 781 जिलों के 74,000 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों और 2.70 लाख शिक्षकों ने भाग लिया। धुबरी जिले से 115 स्कूलों के 3,103 विद्यार्थियों और 416 शिक्षकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के रिपोर्ट कार्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं।

(ग): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के एनएसएस (75वें दौर) की वर्ष 2017-18 की रिपोर्ट 'हाउसहोल्ड सोशल कनजंपशन ऑन एजुकेशन इन इंडिया' के अनुसार, बच्चों के स्कूल न जाने के प्रमुख कारण उनका पारिवारिक आय में सहायता करना, घरेलू कामों में सहायता करना, पढ़ाई में रुचि न होना, पढ़ाई में परेशानी होना, बच्चे का किसी न किसी दिव्यांगता से ग्रस्त होना, खराब स्वास्थ्य, माता-पिता द्वारा शिक्षा को आवश्यक न समझा जाना, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, विवाह आदि हैं।

(घ) और (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। केन्द्र सरकार, केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/उन्हें सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, स्तरोन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, पीएम-जनमन के तहत छात्रावासों के निर्माण, असंतृप्त अनुसूचित जनजातीय आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों के निर्माण, नि:शुल्क यूनीफॉर्म, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन तथा प्रतिधारण अभियान चलाने जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' (पीएम पोषण) के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका सहित प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को एक बार पका हुआ गर्म भोजन प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, पीएम श्री योजना के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए असम राज्य के 382 पीएम श्री स्कूलों का स्तरोन्नयन हेतु चयन किया गया है। ये स्कूल संज्ञानात्मक विकास और 21वीं सदी के प्रमुख कौशलों से युक्त समग्र एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण पर केंद्रित हैं। यह योजना एक समतापूर्ण, समावेशी और आनंदपूर्ण अधिगम वातावरण तैयार करने पर केंद्रित है जिसमें विविध पृष्ठभूमियों, बहुभाषी आवश्यकताओं और विविध शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण में अपनापन, देखभाल और सहायता-युक्त महसूस कराना सुनिश्चित करने हेतु इन स्कूलों को विद्यार्थियों को उनकी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए तैयार किया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्र योजना 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि कक्षा आठ में उनकी पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को रोका जा सके तथा उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के तहत कक्षा 9 के चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की नई छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा कक्षा 10 से 12 तक उन्हें राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने/नवीनीकृत करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति की राशि 12000/- रुपये प्रतिवर्ष है।

(च): यूडाइज+ 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बालिकाओं के शौचालय, बालकों के शौचालय, पेयजल, बिजली, कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और प्रबंधन-वार प्रतिशत https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/udise_report_existing_23_24.pdf पर उपलब्ध है।

*****